

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी -:श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-126/513/67/96

उनवान

बोदूराम पुत्र चन्दाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
-वादी-

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र पिरागमल (मृतक दौराने दावा)
1/1. रुडी देवी पत्नि बंशी पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तह चौमूं, जिला जयपुर।
1/2. प्रभाती देवी पत्नि कल्याण पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
1/3. शंकरलाल पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी देवी का थान खेजरोली, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
1/4. कमली देवी पत्नि रामेश्वर पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
1/5. सुजी देवी पत्नि रिछपाल पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी हरदरामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
1/6. धापली देवी पत्नि भगवानसहाय पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम हरदरामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. भगवानसहाय पुत्र ईश्वरलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. विष्णु कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नं0 5 संतोष नगर कॉलोनी, ब्रम्हपुरी रोड जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :- 29.11.2024


पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2011 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 6395/8848 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 का

mmf

रकबा 0.43 है0 चाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार
जा जाता है।

1. बोदूराम पुत्र चन्दाराम जाति अहीर सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 6195/8848/2 रकबा 0.03 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. विष्णु कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा हिस्सा 6/40, सा0 5 संतोष नगर कॉलोनी, ब्रम्हपुरी रोड जयपुर, नन्दलाल पुत्र चिरागमल हिस्सा 30/40 सुगलचन्द भगवानसहाय हनुमान सहाय शंकरलाल पिता नानूराम हिस्सा 237/4000, राजेन्द्र कुमार कैलाश चन्द पिता रामेश्वर लाल हिस्सा 46/4000 बिला रहन भगवानसहाय पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 104/4000 जाति अहीर राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलान्दरपुर मुर्तहीन सा0देह सुरेन्द्र कुमार पुत्र गणपत राम शर्मा हिस्सा 13/4000 जाति ब्रा0सा0 बुरोला सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 6195/8848/1 रकबा 0.40 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय) चौमूं

डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ 20 रूला 6 व 7 जाबा वीवागी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-126/513/67/96

उनवान

बोदूराम पुत्र चन्दाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
-वादी-

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र पिरागमल (मृतक दौराने दावा)
1/1. रुडी देवी पत्नि बंशी पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तह चौमूं, जिला जयपुर।
1/2. प्रभाती देवी पत्नि कल्याण पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
1/3. शंकरलाल पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी देवी का थान खेजरोली, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
1/4. कमली देवी पत्नि रामेश्वर पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
1/5. सुजी देवी पत्नि रिछपाल पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी हरदरामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
1/6. धापली देवी पत्नि भगवानसहाय पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम हरदरामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. भगवानसहाय पुत्र ईश्वरलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. विष्णु कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नं0 5 संतोष नगर कॉलोनी, ब्रम्हपुरी रोड जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:-126/513/67/96

निर्णय दिनांक:- 29.11.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि खसरा नम्बर 6395/8848 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।


(Signature)

1. बोदूराम पुत्र चन्दाराम जाति अहीर सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 6195/8848/2 रकबा 0.03 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

2. विष्णु कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा हिस्सा 6/40, सा0 5 संतोष नगर कॉलोनी, ब्रम्हपुरी रोड जयपुर, नन्दलाल पुत्र चिरागमल हिस्सा 30/40 सुगलचन्द भगवानसहाय हनुमान सहाय शंकरलाल पिता नानूराम हिस्सा 237/4000, राजेन्द्र कुमार कैलाश चन्द पिता रामेश्वर लाल हिस्सा 46/4000 विला रहन भगवानसहाय पुत्र ईश्वरलाल हिस्सा 104/4000 जाति अहीर राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलान्दरपुर मुर्तहीन सा0देह सुरेन्द्र कुमार पुत्र गणपत राम शर्मा हिस्सा 13/4000 जाति ब्रा0सा0 बुरोला सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 6195/8848/1 रकबा 0.40 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर


पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

